अध्याय-11 याचिकाएं.

याचिकाएं.

106. अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित पर याचिकाएं सभा में उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी :-

(1) ऐसा विधेयक जो नियम 59 के अधीन प्रकाशित हो चुका हो या जो सभा में पुरःस्थापित हो चुका हो;

(2) सभा के सामने लंबित कार्य से संबंधित कोई विषय; और

(3) सामान्य लोकहित का कोई भी विषय परन्तु वह ऐसा न हो :-

(क) जो छत्तीसगढ़ के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या प्राधिकारी या किसी अर्द्धन्यायिक निकाय या आयोग की जानकारी में हो;

(ख) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता है; या

(ग) जिसके लिये विधि के अधीन उपचार उपलब्ध है और विधि में नियम, विनियम, उपविधि सम्मिलित है, जो किसी विधि के अधीन बनाये गये हों.

याचिका का सामान्य प्रपत्र.

107. (1) पहली अनुसूची में याचिका का दिया गया सामान्य प्रपत्र ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, उपयोग में लाया जा सकेगा और यदि उपयोग में लाया जाय, तो वह पर्याप्त होगा.

(2) प्रत्येक याचिका सम्मानपूर्ण और संयत भाषा में लिखी जायेगी.

याचिका के हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रमाणीकरण.

108. याचिका के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पता उसमें दिया जायेगा और वह यदि साक्षर हो तो उसके हस्ताक्षर से और यदि निरक्षर हो, तो उसके अंगूठे के निशान से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा.

याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाया जायेगा.

109. किसी याचिका के साथ पत्र, शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं लगाया जायेगा.

प्रति हस्ताक्षर.

110. यदि याचिका किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित की जाये, तो ऐसी प्रत्येक याचिका पर वह प्रतिहस्ताक्षर करेगा.

याचिका किसे संबोधित की जायेगी और किस प्रकार समाप्त की जायेगी.

111. प्रत्येक याचिका सभा को संबोधित की जायेगी और जिस विषय से उसका संबंध हो उसके बारे में याचिका देने वाले निश्चित उद्देश्य का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होगी.

याचिका का उपस्थापन.

112. याचिका सदस्य द्वारा उपस्थापित की जा सकेगी या सचिव को भेजी जा सकेगी जो उस दशा में यह तथ्य सभा को सूचित करेगा और ऐसी सूचना देने पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी.

याचिका का रूप.

113. याचिका उपस्थापित करने वाला सदस्य अपने को निम्नलिखित कथन तक ही सीमित रखेगा :-

"मैं ..... के संबंध में ..... याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं.
और इस कथन पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी".

समिति को निर्देश.

114. प्रत्येक याचिका, यथास्थिति, सदस्य द्वारा उपस्थापित किये जाने के बाद या सचिव द्वारा प्रतिवेदित किये जाने के बाद और जब विधान सभा सत्र में न हो, तब प्राप्त हुई याचिका यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, याचिका समिति को सौंप दी जायेगी.